

राजस्थान सरकार
निदेशालय, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवाएँ, राजस्थान जयपुर

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-29/2018/

दिनांक:-

--:आदेश--

निम्नलिखित नर्सिंगकर्मी जिनके द्वारा राज्य सेवा में 60 वर्ष की अधिवार्षिकी आयु पूर्ण करने पर उनके नाम के सम्मुख अंकित तिथि से मध्याह्न पश्चात् राज्य सेवा से सेवानिवृत्त किया जाता है:-

क्र.सं.	कर्मचारी का नाम (श्री/श्रीमती/सुश्री)	पद	पदस्थापन स्थान	जन्म तिथि	सेवानिवृत्ति तिथि
1.	न. किशोर जोशी	नर्स प्रथम	डूंगरपुर	13.01.1959	31.01.2019
2.	कुलजीत कौर मान	नर्स प्रथम	गंगानगर	26.01.1959	31.01.2019
3.	इन्द्रम्मा पी.के.	नर्स प्रथम	बीकानेर	28.02.1959	28.02.2019
4.	अशोक कुमार धवन	नर्स प्रथम	जयपुर	12.02.1959	28.02.2019
5.	सुरेन्द्र सिंह पायक	नर्स प्रथम	कोटा	12.04.1959	30.04.2019
6.	मरियम्मा एन.टी.	नर्स प्रथम	कोटा	25.05.1959	31.05.2019
7.	अम्मिणी एम.	नर्स प्रथम	कोटा	25.05.1959	31.05.2019
8.	रोजलीन एस. राम	नर्स प्रथम	कोटा	15.06.1959	30.06.2019
9.	विशम्भर दयाल शर्मा	नर्स प्रथम	कराबी भिवाड़ी अलवर	15.07.1959	31.07.2019
10.	शंकर लाल शर्मा	नर्स प्रथम	कराबी डबोक उदयपुर	07.09.1959	30.09.2019
11.	सिन्धिया मेसी	नर्स प्रथम	कोटा	30.12.1959	31.12.2019
12.	हेमराज कराड़	नर्स प्रथम	कोटा	10.12.1959	31.12.2019

यह प्रमाणित किया जाता है कि उक्त नर्सिंग कर्मिकों के विरुद्ध आज दिनांक तक:-

1. सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम, 1958 के नियम-16 के अधीन कोई विभागीय जांच विचाराधीन/लंबित नहीं है।
2. राजस्थान सिविल सेवा (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियम-19 के अधीन कोई विशेष प्रक्रिया की कार्यवाही विचाराधीन/लंबित नहीं है।
3. कोई न्यायिक कार्यवाहियां विचाराधीन/लंबित नहीं है।

Sel

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर

दिनांक:- 21.12.2018

क्रमांक:- नर्सिंग/नर्स-1/से.नि./विविध-29/2018/616

प्रतिलिपि:- निम्न को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है :-

1. निदेशक, पेंशन एवं पेंशनर्स वेलफेयर विभाग, राजस्थान, जयपुर।
2. निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, ईएसआई योजना जयपुर।
3. संबंधित संयुक्त निदेशक, चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें, जोन।
4. संबंधित प्रधानाचार्य एवं नियंत्रक चिकित्सा महाविद्यालय।
5. संबंधित अधीक्षक, संलग्न चिकित्सालय समूह।
6. संबंधित मुख्य चिकित्सा एवं स्वास्थ्य अधिकारी।
7. संबंधित जिला प्रजनन एवं शिशु स्वास्थ्य अधिकारी।
8. संबंधित चिकित्सा अधिकारी प्रभारी, कराबी योजना ईएसआई।
9. संबंधित प्रमुख चिकित्सा अधिकारी।
10. संबंधित खण्ड मुख्य चिकित्सा अधिकारी।
11. संबंधित कर्मचारी को द्वारा उनके प्रशासनिक अधिकारी।
12. प्रभारी सर्वर रूम, मुख्यालय को प्रेषित कर लेख है कि उक्त आदेश विभाग को वेबसाइट पर अपलोड करे।
13. आदेश/निजी पत्रावली।

(राकेश शर्मा)

अतिरिक्त निदेशक(प्रशासन)
चिकित्सा एवं स्वास्थ्य सेवायें

राजस्थान जयपुर